17.12.2024	नकल सरकारी लेखा। वादग्रस्त सरकारी पत्र सूची गई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा बपारवेडी की आराजी नं० 457 463, 542, 544, 571, 572 कुल किता 06 कुल रकबा 3.18 हेक्टेयर सरकारी खेवट संख्या 6, 7 के पिता व 1 से 5 की माता के नाम पर दर्ज दर्ज थी। उक्त में विवादग्रस्त किते की मृत्यु उपरान्त वैध वारिस खेवट 1041 दिनांक 13.7.2022 को निर्गत किया गया। सरकारी खेवट 1, 4, 5 का नाम गलत दर्ज किया गया। अतः सरकारी पक्ष स्वीकार किया जाकर सही नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अ सरकारी परिवार सरकार द्वारा अपना जवाब पेश, मय निवेदन किया कि उक्त मामलान्तर्गत सरकारी द्वारा ही मनोहर किते का वादग्रस्त आवेदन व शपथ पत्र के आधार पर प० क० द्वारा दर्ज किया गया है। अतः सरकारी पक्ष खारीज फरमाया जावे। इनके कि गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। सरकारी द्वारा सरकारी पक्ष की ओर से कोई दोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। अतः दस्तावेजी साक्ष्य के आभाव में सरकारी पक्ष साबित होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली नियम अनुसार तोड़ कर बन्द की जावे। आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला चित्तौड़गढ़